आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 तक जो संशोधन हुए थे, वे पुस्तकों में उपलब्ध हैं, और यह अपेक्षा की जाती है कि सभी पदाधिकारी उन्हें पढ़ समझ कर उनका क्रियान्वयन कर रहे होंगे। वर्ष 2008 एवं 2010 में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2010 द्वारा, धारा 41 के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी करने की पुलिस की शक्तियों सहित, अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन दोनों अधिनियमों को भारत सरकार द्वारा क्रमशः अधिसूचना संख्या 2271 दिनांक 30.10.2010 एवं संख्या 2273 दिनांक 01.10.2010 द्वारा अधिसूचित करते हुए उन्हें क्रमशः दिनांक 01 नवम्बर, 2010 एवं 02 नवम्बर, 2010 से प्रभावी घोषित किया गया है।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता में इन संशोधनों के उपरांत पुलिस द्वारा सभी संज्ञेय अपराधों के मामले जिनमें अधिकतम सजा सात वर्ष या उससे कम हो, में ऐसे मामले के संबंध में किसी परिवाद प्राप्त होने तथा ऐसे अपराध घटित होने के सूचना, अथवा यथोचित शंका होने पर, गिरफ्तार करने अथवा नहीं करने के कारणों को आलेखित करना अनिवार्य है। सभी पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की प्रति उनके सभी अधीनस्थों को उपलब्ध करा दी जाए और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2010 द्वारा पारित संशोधनों से भली भाँति पढ़ कर उनके प्रावधानों, विशेष रूप से नई धारा 41, 41ए, 41बी, 41 सी एवं 41डी, का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करेंगे।

3. अब पुलिस द्वारा बिना वारंट के केवल वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है:

क) जिसने कोई संज्ञेय अपराध पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में किया हो; या

ख) जिसके विरूद्ध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय अपराध करने संबंधी युक्तिसंगत परिवाद किया गया हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, या युक्तिसंगत संदेह हो और:

(i) पुलिस पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हों तो उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है और

(ii) पुलिस पदाधिकारी संतुष्ट हो कि उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है:

(क) ताकि उस व्यक्ति को पुनः कोई अपराध करने से रोका जा सके; या

(ख) ताकि उस अपराध का सही ढ़ंग से अनुसन्धान किया जा सके; या

(ग) ताकि उस व्यक्ति को उस अपराध के साक्ष्यों को गायब करने या उनसे छेड़–छाड़ करने से रोका जा सके; या

(घ) ताकि उस व्यक्ति को केस के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को वैसे तथ्य न्यायालय अथवा पुलिस पदाधिकारी के समक्ष उजागर करने से रोकने हेतु कोई लालच, धमकी या वादा(promise) देने से रोका जा सके; या

(ड.) क्योंकि बिना उसे गिरफ्तार किए उसकी न्यायालय के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

(iii) ऐसी गिरफ्तारी करते समय पुलिस पदाधिकारी उन कारणों को लिखित रूप से दर्ज करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी आवश्यक समझी गई।

(iv) ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी जाए तो पुलिस पदाधिकारी उन कारणों को लिखित रूप से दर्ज करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी गई।

(ग) जिसके विरूद्ध सात वर्ष से अधिक सजा से दण्डनीय अपराध करने संबंधी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, तथा पुलिस पदाधिकारी को उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने के कारण हों कि उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है।

जिन मामलों में धारा 41 की उप–धारा 1 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं हो, उनमें पुलिस पदाधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने तथा नोटिस की शर्तों को पूरा करने के लिए नोटिस (नीचे दिए गए प्रपत्र में) निर्गत करेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसे नोटिस का अनुपालन करता रहता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति ऐसे नोटिस का अनुपालन नहीं करता तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

कार्यालय का नाम

नोटिस

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको सूचित करता हूँ कि_____थाना में दर्ज अपराध संख्या _____धारा के अनुसंधान के दौरान यह प्रकट हुआ है कि आपसे तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु आपसे पूछ–ताछ करने हेतु पर्याप्त आधार हैं। अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि आप मेरे समक्ष_____बजे पूर्वाहन/ अपराहन में तिथि _____को_____थाना में उपस्थित हो।

हस्ताक्षर

तिथिः–

नाम एवं पदनाम

मुहर

5. गिरफ्तार करते समय पुलिस पदाधिकारीः

क) सरल पहचान हेतु अपने नाम का सही, साफ दिखने वाला एवं स्पष्ट पहचान चिन्ह धारण करेगा,

ख) गिरफ्तारी ज्ञापन, जिसमें द0प्र0स0 की धारा 41(1)(ii)(ड़) में विर्निदिष्ट **गिरफ्तार किये जाने के कारणों** को अंकित किया गया हो, तैयार करेगा जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा,

ग) गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करेगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके द्वारा नामित एक रिश्तेदार या मित्र को उसके गिरफ्तारी की सूचना दी जाए,

घ) गिरफ्तारी ज्ञापन, जिसमें द0प्र0स0 की धारा 41(1)(ii)(ड़) में विर्निदिष्ट **गिरफ्तार किये जाने के कारणों** को अंकित किया गया हो, की विवरणी काण्ड दैनिकीयों में भी अंकित किया जायेगा।

6) किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किसी व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछ–ताछ के समय उसे अधिकार होगा कि पूछ–ताछ के दौरान (परन्तु पूछ–ताछ की पूरी अवधि के लिए नहीं), अपनी मनपसन्द वकील से भेंट कर सके।

7) सभी जिलों के पुलिस नियंत्रण कक्ष धारा 41सी दं.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार जिला नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नियंत्रण कक्ष के बाहर संधारित नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन उस दिन तथा उसके पिछले दिन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विवरण सहित उन्हें गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारियों के पदनाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सभी थानाध्यक्ष किसी भी गिरफ्तारी के तुरत बाद अपने जिले के नियंत्रण कक्ष तथा पुलिस उपाधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं (आरोपित का नाम, आरोपित के पिता का नाम, आरोपित

की उम्र, लिंग, पता, गिरफ्तारी का स्थान, गिरफ्तारी की तिथि और समय, अपराध संख्या, धाराएं, थाना का नाम, गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का नाम, रैंक और पद) उपलब्ध कराएंगे।

8) बिहार पुलिस मुख्यालय के अधीन राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष का काम राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पटना करेगा। सभी जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक रविवार से शनिवार के बीच जिले में गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्त पूरी जानकारी कम्प्यूटर पर संकलित कर राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पटना को अगले बुधवार तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज देंगे। अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो इसे आम जनता एवं विभाग के सूचनार्थ डिजिटल डाटा बैंक के रूप में संकलित कर संधारित करेंगे।

9) संशोधित धारा 54– किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरत बाद उसकी जॉच सरकारी चिकित्सक, अथवा यदि सरकारी चिकित्सक उपलब्ध न हों, तो किसी पंजीकृत चिकित्सक कराई जाएगी। यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला हों तो जॉच महिला चिकित्सक ही करेंगी।

10) संशोधित धारा 157 (1)– बलात्कार की पीड़िता का बयान उनके निवास या उनके द्वारा चुने गये स्थान पर, यथासम्भव महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा एवं पीड़िता के माता–पिता या अभिभावक या सम्बन्धी या सामाजिक कार्यकर्त्ता की उपस्थिति में ही दर्ज किया जाएगा।

11) संशोधित धारा 161 (3)–बयान लिखित रूप से दर्ज करने के अलावा ऑडियो–विडियो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से भी रिकार्ड किया जा सकता है।

12) संशोधित धारा 172 (1ए) एवं (1बी)– धारा 161 के तहत साक्षियों के जो बयान दर्ज किए जाएं उन्हें केस दैनिकी में दर्ज करना है। केस दैनिकी के पन्नों पर नम्बर अंकित होंगे। केस दैनिकी की कमी के कारण यदि पुलिस अधीक्षक स्थानीय स्तर पर केस दैनिकी छपवा कर अनुसन्धानकों को उपलब्ध कराएं तो इस प्रावधान का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया करें।

13) संशोधित धारा 195 (ए)– धारा 195ए भा.द.वि. के तहत किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने हेतु धमकाने के अपराध के सम्बन्ध में शिकायत साक्षी अथवा किसी व्यक्ति द्वारा करने का प्रावधान किया गया है।

(अभयानन्द)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार।

ज्ञापांक 4998 / एक्स.एल., XL(विविध)2003-2011
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 16.12.2011.

प्रतिलिपिः–1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक(रेल सहित), बिहार को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेल सहित), बिहार को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी पुलिस अधीक्षक(रेल सहित) बिहार को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक,
(मुख्यालय एवं प्रशासन)
बिहार, पटना।